

—: आदेश।—


12-06-2014

श्रीमती बेबी कुमारी, पति—श्री मुकेश चन्द्रा, सा०—महादेव नगर, गाँधी मार्केट, पो०—दीघा घाट, थाना—दीघा, जिला—पटना द्वारा एक एन०पी०बोर रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2011 में समर्पित किया गया। आवेदिका से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०—09—360/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक—12.06.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदिका का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदिका के द्वारा उपास्थित होकर बताया गया कि वे राजनीति से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में पश्चिमी दीघा की उप सरपंच हैं, उन्हें पंचायत के कार्यों हेतु अन्य क्षेत्रों में आना—जाना पड़ता है, जिसमें वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक—1187/गो०, दिनांक—18.06.2013 द्वारा आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि—व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, दीघा के अग्रसारण एवं अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, दीघा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे राजनीति से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में अपने पंचायत की उप सरपंच हैं, उन्हें पंचायत के कार्यों हेतु अन्य क्षेत्रों में आना—जाना पड़ता है, जिसमें वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तदोपरान्त आवेदिका के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदिका के पति स्व० धर्मेन्द्र कुमार के नाम पूर्व से एक एन०पी०बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति प्राप्त है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक


678


ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदिका के आवेदन एवं उसके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदिका को सुरक्षा के विन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदिका श्रीमती बेबी कुमारी, पिता-स्व0 धर्मेन्द्र कुमार, सा0-महादेव नगर, गाँधी मार्केट, पो0-दीघा घाट, थाना-दीघा, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।